


तारीख
हुकम

न्यायालय उ
पीठासीन उ
।ख्या: 93/2023

11/08/23

पत्रावली काउ चेका हुई वकील काशी
 हुकमस्थता खील विजाकीगण महुकस्थता
 विजाकीगण हुकमस्थता विजाकीगण के
 कोरे समय हे तीन बार तीन-तीन
 कावाजे दिलारे गरी वासहुड कावाजे
 दिलारे के विजाकीगण महुकस्थता मल!
 विजाकीगण के विहड एक तरमा
 कादीकाशी की जाती हे वकील काशी के
 पत्रावली पर बहक हुकी गरी महेक मलका
 के जिकार जाकर हुले न्यायालय हुकम
 मलका कोडेक की पालनार्क लहरा जोगी
 ही पालन जाण होने पर इतिहास
 पत्रावली- की जिकी पत्रावली विहक
 हुकम होकर इतिहास दफतर हो।


 उपजुड अधिकारी गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलवी आर.ए.एस

संख्या: 93 / 2023

प्रार्थीगण :-

1. करमीराम पुत्र टीलाजी
जाति माली निवासी मोरसीम तहसील बागोडा जिला जालौर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. रतनाराम पुत्र गलबाराम
2. वीरमाराम पुत्र गलबाराम जाति माली निवासी सोढों की ढाणी
3. अजाराम पुत्र छगनाराम
4. कलाराम पुत्र अमराराम
5. खुशाला पुत्र ताराराम फौत के कायम मुकाम :-
5/1 गणपत पुत्र खुशाला
5/2 शंकराराम पुत्र खुशाला
6. जबराराम पुत्र छगनाराम
7. तेजाराम पुत्र अमराराम
8. तलछी पत्नी अमराराम
9. तिलोका पुत्र तारा
10. मोहन पुत्र अमरा
11. सांवलाराम पुत्र अमराराम
जाति माली निवासी मोरसीम तहसील बागोडा जिला जालौर
12. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

--: आदेश ::--

दिनांक :- 11.08.2023


प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गडी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा सोढों की ढाणी पटवार क्षेत्र रतनपुरा तहसील गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 547/1 रकबा 1.1736 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में

विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र सोढों की ढाणी पटवार क्षेत्र रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 547/1 रकबा 1.1736 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक रतनपुरा को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक ...11/08/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(रामजी माई कुलवी)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (वाड़मेर)

वाद / 2023 / 906
प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक : 11/08/23

विप्रार्थीगण

करमीराम

रतनाराम वगैरा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी

राजस्व आवेदन सं.....93 / 2023..

निर्णय दिनांक :- 11.08.2023

-:: आदेश ::-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम सोढों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 547 / 1 रकबा 1.1736 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक रतनपुरा.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीश रूपये1000 / -...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

दिनांक : 11/08/23

क्रमांक: वाद / 2023 / 907 - 912
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. थानाधिकारी.....गुडामालानी
3. भू-अभिलेख निरीक्षक रतनपुरा।
4. हल्का पटवारी.....रतनपुरा. को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.....करमीराम पुत्र टीलाजी
6. विप्रार्थीगण.....रतनाराम वगैरा....


उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी